सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 29, मंगलवार, शाके 1944-अप्रेल 19, 2022 *Chaitra 29, Tuesday , Saka 1944- April 19, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 06, 2022

जी.एस.आर.8 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956)1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.2)9)वित्त/कर/2021-100 दिनांक 19.01.2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[सं.एफ.2)9)वित्त/कर/2021-100]

राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 19, 2022

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998)1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लो कहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.2)9)वित्त/कर/2021-93 दिनांक 31.12.2021 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्9-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति "01.01.2022 से 31.03.2022 की कालावधि के दौरान निक्षिप्त करा दिया जाता है।", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "31.03.2022 तक निक्षिप्त करा दिया जाता है।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.2)9)वित्त/कर/2021-100]

राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,

संयुक्त शासन सचिव''।

Government Central Press, Jaipur.